उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या: सी– 86 / तक0प्रको0 / 2017–18   दिनॉक– 5-02-18

समस्त शाखा प्रबन्धक,

उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,

उत्तर प्रदेश।

विषय:-डेयरी उद्यमिता विकास योजना के सम्बन्ध में।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र संख्या-63/तक0प्र0/2017-18 दिनॉक 09.11.17 का सन्दर्भ लें जिसके द्वारा उक्त विषयक योजना में ऋण वितरण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश प्रेषित किये गये हैं। सन्दर्भित योजना के विषय में नाबार्ड द्वारा प्रेषित पत्र जो दिनॉक 15.01.2018 को प्राप्त हुआ , के द्वारा अवगत कराया है कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (कृषि और कृषक कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- FNo. 1-1/2009-DP dated 11-01-2018 के द्वारा) उक्त विषयक योजना को दिनॉक 31.12.2017 से दिनॉक 28.02.2018 तक जारी रहेगी। अन्य दिशा-निर्देश पूर्ववत् रहेंगे, साथ ही यह अपेक्षा की गई है कि क्लेम सम्बन्धी प्रस्ताव ऑन-लाइन अपलोड किये जायें जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य के लिए उक्त योजना में बजट आवंटन के उपरान्त ही प्रस्ताव स्वीकृत किये जायेंगे।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अवगत होकर उक्त योजना से सम्बन्धित प्रस्तावों को बैंक की ई0-मेल आई0डी0 पर ऑन-लाइन अपलोड करने के उपरान्त उसकी हार्ड कापी भी तकनीकी प्रकोष्ठ को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये। उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(के0पी0सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्नॉकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित–

(1)समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अपने मण्डल की समस्त शाखाओं से उक्तानुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

(2)समस्त जनपदीय प्रबन्धक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति को अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(3)उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर),उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को ई–मेल द्वारा समस्त जनपदीय प्रबन्धकों को प्रेषित कराना सुनिश्चित करें।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक (तकनीकी)